बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

::कार्यालय आदेश::

का0आ0:–15/बि0स0से0–03–02/2014 सा0प्र0.....253........../पटना–15, दिनांक....22-6-18.........

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–157 दिनांक 19.04.2018 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के विज्ञापित स्नातक स्तरीय प्रथम संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन संख्या–110/2010 की दिव्यांगों की संशोधित अनुशंसा (पत्रांक 934/आ0, दिनांक 23.03.2018) के आधार पर बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक के पद पर बैंड वेतन 9300–34800/– ग्रेड वेतन 4600/–(7वें वेतन आयोग के लेबल–7) में सशर्त्त औपबंधिक रूप से नियुक्त निम्नांकित सहायको को उनके नाम के सामने स्तम्भ–07 में अंकित तिथि से औपबंधिक योगदान स्वीकृत करते हुए स्तम्भ–08 में अंकित विभाग/संलग्न कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:–

क्र0	अभ्यर्थी का नाम/ जन्म तिथि	स्थायी पता	अनुक्रमांक	संशोधित मेधा कमांक	नियुक्ति आदेश सं0 157 दिनांक 19.04.2018 का क्रमांक	योगदान की तिथि	पदस्थापित विभाग/संलग्न कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री दीपक कुमार 25.12.1986	श्री दीपक कुमार, S/o- श्री रघुवीर प्रसाद, ग्राम–कुन्डी, पो0–दरौरा, थाना–नूरसराय जिला–नालंदा, बिहार, पिन–803101	13330158	2349	01	19.05.2018	आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना	
2	सुश्री रश्मि तिवारी 28.05.1974	सुश्री रश्मि तिवारी, मकान नं0–एल–1/20, श्री कृष्णापुरी, बोरिंग रोड, पटना, बिहार, पिन–800001	10930653	10932	14	09.05.2018	राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय, पटना	
3	श्री दीनानाथ मंडल 03.01.1987	श्री दीनानाथ मंडल, ग्राम+पो0–धरहण, पो–प्राणपुर, भाया–महादेवपुर, जिला–कटिहार,बिहार, पिन–854116	13630300	8484	8	18.04.2018	आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया, प्रमंडल, पूर्णिया	
4	श्री कुन्दन कुमार 10.12.1985	श्री कुन्दन कुमार, ग्राम+पो0–जितयारपुर निजामत, वार्ड–01, कन्हैया चौक के निकट, समस्तीपुर, बिहार पिन–848134	11230470	8705	9	01.06.2018	आयुक्त कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	
5	सुश्री आशा कुमारी 01.03.1978	सुश्री आशा कुमारी, D/o- श्री राजबंश लाल, V.I.P. कॉलोनी, भभुआ, W. No.02, S. N- 1. पो0+थाना–भभुआ, जिला–कैमूर, बिहार, पिन–821101	13530058	11891	17	20.04.2018	आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया	
6	श्री मनोज कुमार 10.12.1983	श्री मनोज कुमार, ग्राम–मटियरियार, पो0–मखुआ, भाया–तुरकोलिया, जिला–पूर्वी चम्पारण, बिहार, पिन–845437	11130309	11746	16	20.04.2018	आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा	

7	श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा 07.11.1980	श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा, ग्राम–कोटवा, ओझाटोला, पो0–कोटवा, थाना–कोटवा, भाया–तुरकोलिया, जिला–पूर्वी चम्पारण, बिहार, पिन–845437	12830279	14072	20	20.04.2018	आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	

2. उपर्युक्त सभी नवनियुक्ति सहायकों को निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 26.06.2018 तक अपने पदस्थापन के विभाग में योगदान करें। उक्त समय सीमा के भीतर योगदान करने वाले सहायकों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–07 में अंकित योगदान की तिथि से ही वेतनादि का भुगतान पदस्थापित विभाग/कार्यालय द्वारा तीन माह तक औपबंधिक रूप से किया जायेगा। उक्त निर्धारित समय सीमा के बाद योगदान देने वाले सहायकों को पदस्थापित किये गये विभाग में योगदान की तिथि से वेतन भुगतान होगा।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा नवनियुक्त कर्मियों के लिये दो प्रतियों में सेवा–पुस्त खोली जायेगी। नियुक्ति–पत्र की प्रति के साथ सेवा–पुस्त की एक प्रति संबंधित विभाग/कार्यालय को भेजी जायेगी। सेवा–पुस्त में नियुक्त कर्मी का एक अभिप्रमाणित फोटोग्राफ चिपका रहेगा, जिसे जाँचोपरांत संतुष्ट होकर योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी तीन माह के लिये औपबंधिक रूप से योगदान स्वीकृत करेगें और नियुक्ति पदाधिकारी से नियुक्ति–पत्र की संपुष्टि करा लेगें। यदि तीन माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त सहायक के वेतनादि की निकासी तबतक नहीं की जाएगी जबतक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इनकी नियुक्ति–पत्र की संपुष्टि नहीं हो जाती है।

4. संबंधित विभाग/कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि नवनियुक्त सहायकों का औपबंधिक रूप से योगदान उनसे सिविल सर्जन द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण–पत्र एवं तिलक–दहेज नहीं लेने देने से संबंधित घोषणा–पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही स्वीकृत किया जाय तथा उक्त प्रमाण–पत्र एवं घोषणा–पत्र की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाय।

5. प्रथम वेतन–विपत्र के साथ नियुक्ति–पत्र की अभिप्रमाणित फोटोप्रति कोषागार में भेजी जायेगी, जिससे नियुक्ति पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मिलान कोषागार पदाधिकारी पूर्व से कोषागार में उपलब्ध कराये गये नियुक्ति–पत्र से कर लेगें।

6. नवनियुक्त कर्मियों का नियुक्ति–पत्र राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंकों में प्रकाशित करने हेतु अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना के अनुरोध किया गया है। कार्यालय प्रधान/योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी से अनुरोध होगा कि वे राजपत्र की एक प्रति अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना से भी नियुक्ति–पत्र की सत्यता की जाँच कर लेगें।

7. संबंधित विभाग या कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त नवनियुक्त सहायक जो पूर्व में अन्य विभागों में अन्य पदों पर कार्यरत थे, का सेवापुस्त एवं अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उनकी सत्यता की जाँचोपरांत ही वेतन निकासी की कार्रवाई करेंगे।

8. नवनियुक्त कर्मियों का नयी अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत स्थायी सेवा–निवृत्ति लेखा संख्या (PRAN NUMBER) अवश्य रूप से खोल लिया जाय।

9. नवनियुक्त कर्मियों का आयोग से प्राप्त अनुशंसा में तथा उनसे प्राप्त प्रमाण–पत्रों एवं पुलिस भेरिफिकेशन आदि में त्रुटि/फर्जी/गड़बड़ी भविष्य में पाये जाने पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी। तद्नुसार फलाफल से संबंधित विभाग को अवगत करा दिया जायेगा।